प्रवेश के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश व नियम

1. इस निर्देश पुस्तिका में प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम एवं नियमों द्वारा अधिकृत है।
2. इस निर्देश पुस्तिका एवं आवेदन–पत्र का मूल्य 300/– है जिसे कालेज कार्यालय से नकद भुगतान करके प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र भरने के बाद कार्यालय में 10 बजे से 3 बजे तक जमा करना होगा।
4. यदि आवेदक कहीं सेवारत है तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. प्रवेश के समय जमा किया गया समस्त शुल्क व प्रास्पेक्टस शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
6. छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा की 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। कम होने पर सेमस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगा तथा किसी भी संस्था से कोई भी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
8. यदि कोई छात्र/छात्रा को अपराधिक मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
9. आरक्षण इत्यादि विश्वविद्यालय नियमानुसार देय होगा।
10. **किसी भी अभ्यर्थी को एल0एल0बी0/बी0ए0एल0एल0बी0 (5 वर्षीय) के साथ कोई अन्य कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी।**
11. किसी भी समय किसी अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करने का सर्वाधिकार कालेज के पास सुरक्षित होगा।
12. प्रवेश सम्बन्धी किसी भी विवाद उत्पन्न होने पर कालेज की प्रवेश समिति का निर्णय सर्वमान्य व अन्तिम होगा।
13. प्रवेश फार्म के साथ हाईस्कूल से इण्टर/स्नातक तक समस्त मार्कशीट व प्रमाण–पत्र तथा जाति व निवास प्रमाण–पत्र की तीन सेट में स्वप्रमाणित छाया प्रतियां व 6 कलर फोटो जमा करना होगा।
14. आवेदन पत्र **(Prospectus)** प्रतिवर्ष भरना अनिवार्य है।

नोट – प्रवेश से सम्बन्धित कोई भी विवाद का क्षेत्राधिकार सीतापुर सिविल न्यायालय के पास होगा।

चेतावनी

यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका **(Marksheet)**, आरक्षण **(Reservation)** प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गये तो छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

निर्देश

प्रत्येक सेमेस्टर के प्रवेश के समय कालेज की निर्धारित पूरी फीस जमा करनी होगी।

छात्र/छात्राओं को निर्धारित समय से कालेज की पूरी फीस जमा करनी होगी अन्यथा विलम्ब फीस रू0 10 प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित रूप से देय होगी।

पुस्तकालय सम्बन्धी निर्देश

जो छात्र / छात्राएं पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गत कराना चाहते है उन्हें रू0 500/– (पाँच सौ मात्र – कासन मनीं) कार्यालय में जमा करना होगा जो अन्तिम वर्ष की परीक्षा के पश्चात वापस कर दिये जायेंगे।

प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक बार में दो से ज्यादा पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी तथा 14 दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए रू0 2/– प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।

किताबों पर पेन या पेंसिल से किसी तरह का निशान नहीं लगाना है और न हीं कोई पेज फाड़ना है अन्यथा किताब की पूरी कीमत जमा करनी होगी।

छात्र/छात्राओं को निर्गत पुस्तकें सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व जमा करनी होगी।

पार्किंग सम्बन्धी निर्देश

स्कूटर, मोटर साइकिल व अन्य वाहन कालेज में स्वीकृत पार्किंग में खड़ी करनी होगी।
कालेज परिसर में छात्रों को कार व अन्य चौपहिया वाहन लाना सख्त मना है।

मोबाइल सम्बन्धी निर्देश

महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्रा द्वारा मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा यदि कोई छात्र/छात्रा मोबाइल का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर प्रत्येक बार 100 रू0 का जुर्माना किया जा सकता है।

धूम्रपान सम्बन्धी निर्देश

जो भी छात्र कॉलेज परिसर में धूम्रपान या गुटके आदि का सेवन करता पाया जाता है तो उस पर 100 रू0 का जुर्माना किया जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

प्रत्येक माह में महाविद्यालय द्वारा निर्धारत तिथि पर मासिक परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगी जिसमें समस्त छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। व उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं है तो उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर किसी भी छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

ड्रेस कोड

छात्रों के लिए

गर्मियों में – काली पैंट, सफेद शर्ट, काली टाई, सफेद मोजे और काले जूते।

सर्दियों में – काला कोट ।

छात्राओं के लिए

गर्मियों में – सफेद सलवार, सफेद कुर्ता, काला दुपट्टा।

सर्दियों में – काला कोट, सफेद मोजे और जूते ।

छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्देश

समस्त वर्ग के वे छात्र/छात्राओं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से कम है वह अपनी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश किसी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है तो इसके लिए महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

सुविधायें :

- प्रकाशयुक्त कक्षायें, समुचित फर्नीचर।
- बॉयज एवं गर्ल्स कामन रूम।
- लगभग 4000 पुस्तकों वाली लाइब्रेरी।
- ई–लाइब्रेरी की सुविधा।
- छात्र/छात्राओं हेतु अलग प्रसाधन सुविधा।
- CCTV कैमरा युक्त कक्षाएं।
- स्वच्छ एवं शीतल पेयजल व्यवस्था।
- पार्किंग व्यवस्था।
- मूट कोर्ट के लिए अलग कक्ष।
- वाई–फाई की सुविधा।
- सेमिनार एवं गेस्ट लेक्चर की सुविधा।